[2021] 8 एस. सी. आर. 671

भारत बूशन अग्रवाल

वी.

केरल राज्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 834)

06 अक्टूबर, 2021

[इंदिरा बनर्जी और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

केरल वन अधिनियम-एस. 2 (च), 27,69-अपीलार्थी दोषी ठहराए गए और

विचारण न्यायालय द्वारा यू / एस. 27 (1) (डी), यू / आर. 3 (iii) आर/डब्ल्यू. आर। 23 सत्र न्यायालय द्वारा बरी किए गए पारगमन नियमों का-उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने को उलट दिया गया

न्यायालय-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः चंदन का तेल एक जंगल है।

उत्पाद-हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि इसकी जब्ती का वास्तविक अर्थ यह था कि अपीलार्थी को इसके बारे में सचेत जानकारी थी

अवैध प्रकृति या मूल; या पारगमन पास के लिए जिम्मेदार होने में असमर्थता

इसका तात्पर्य यह था कि इसे अवैध रूप से खरीदा गया था, इस प्रकार एस को आकर्षित किया। 27 - अपीलार्थी

प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ बताते हैं कि उन्होंने चंदन का तेल कैसे प्राप्त किया था-राज्य को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य भी नहीं थे

न्यायालय में प्रस्तुत-राज्य ने साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन नहीं किया

उचित संदेह से परे कि अपीलार्थी को इसका ज्ञान था

तथ्य यह है कि माल मूल रूप से अवैध था-उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि एस का परिणाम। 69 एक धारणा है जो स्थान देती है

अपराध के संबंध में सबूत का उल्टा बोझ-आक्षेपित

फैसले को दरकिनार कर दिया गया-केरल वन उत्पादन पारगमन नियम-आरआर। 3

((iii), 23-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 378 .

आपराधिक कानून पुरुष तर्क आयोजितः आम तौर पर एक

यह धारणा कि मेन्स रिया प्रत्येक अपराध में एक आवश्यक घटक है

उस धारणा को या तो वाक्यांश विज्ञान द्वारा विस्थापित किया जा सकता है

अपराध का सृजन करने वाली विधि या उस विषय द्वारा जिसके साथ वह अपराध करता है।

सौदे; दोनों पर विचार किया जाना चाहिए-केरल वन अधिनियम-आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा। 278 ई-आवश्यक वस्तु अधिनियम - s.10E।

केरल वन अधिनियम - एस. 69-के तहत अनुमान-जब नहीं

लागू-चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 केरल वन उत्पाद पारगमन का नियम 3

नियम निर्धारित करते हैं कि कोई भी लकड़ी या अन्य का आयात या निर्यात नहीं कर सकता है।

वन उपज या परिवहन, जब तक कि द्वारा निर्धारित पास न हो

नियम, इसके आंदोलन के साथ होता है। नियम 3 (3) इस तरह के पास प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। नियमों के नियम 23 में यह निर्धारित किया गया है कि नियमों का कोई भी उल्लंघन एक छह महीने तक की अवधि के लिए दंड या पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। [पैरा 16] [683-डी-ई]

1.2 विवादित निर्णय, जहाँ तक यह इस धारणा पर आगे बढ़ा है कि चंदन का तेल वन उपज है, एक पर आधारित है

कानून का सही मूल्यांकन। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने जब्त की गई वस्तुओं के स्वामित्व पर विवाद नहीं किया। की धारा 69

अधिनियम इस धारणा को लागू करता है कि जब किसी के पास वन उपज का कब्जा पाया जाता है, तो इसे राज्य (या केंद्र) सरकार का माना जाता है। अब, यह धारणा एक खंडन योग्य है एक; इस अदालत के कई फैसलों ने कहा है कि मूलभूत तथ्यों को साबित करने का बोझ, जो जन्म देगा

अनुमान, अभियोजन पक्ष पर है। वर्तमान मामले में, इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि माल अपीलार्थी के परिसर से जब्त किया गया था, और उसका था। हवाई अड्डे से जब्त किए गए सामान को विदेशों में भेजा जाना था। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि

मूलभूत तथ्य, अर्थात वन उपज का अधिकार, थे राज्य द्वारा सिद्ध किया गया। [पारस 20,21] [688-ई-एच; 689-ए]

नूर आगा बनाम। पंजाब राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 417; भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 1 एस. सी. सी. 653; गंगाधर @गंगाराम बनाम। मध्य प्रदेश राज्य का निर्णय

उच्चतम न्यायालय डी. टी. डी. 05.08.2020 क्र. में। ए. नहीं. 504/2020

पर भरोसा किया।

निर्धारित सजा के अधीन किया जाएगा। द. धारा 69 के तहत धारणा चेतन नहीं होने के संबंध में है।

मानसिक स्थिति, या विधायिका द्वारा एक निर्देश कि एक निश्चित राज्य मामलों का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन स्वामित्व के संबंध में

संपत्ति अर्थात, कि वह "राज्य की है, जब तक कि इसके विपरीत भारत बूशन अग्रवाल बनाम नहीं है।

केरल राज्य

साबित कर दिया "। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कुछ के विपरीत

इसके बजाय, धारणा की प्रकृति यह है कि यह संबंधित है वन उपज का स्वामित्व। यह महत्वपूर्ण पहलू है

मामले पर ध्यान दें। आम तौर पर, एक धारणा है कि पुरुष

आर. ए. ए. प्रत्येक अपराध में एक आवश्यक घटक है। फिर भी, कि अनुमान को या तो वाक्यांश विज्ञान द्वारा विस्थापित किया जा सकता है

अपराध का सृजन करने वाली विधि या उस विषय द्वारा जिसके साथ वह अपराध करता है।

सौदे; दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान मामले में,

राज्य को यह दिखाना पड़ा कि वन उपज को अवैध रूप से हटाया गया था, या अवैध रूप से अभियुक्त के कब्जे में था, और दोनों में से

मामला, कि वही उसकी जानकारी में था। यह आधार

तथ्य को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। इसके बाद,

अभियुक्त को एक विश्वसनीय या उचित स्पष्टीकरण स्थापित करना होगा।

[पारस 23-25] [689-G-H; 690-A-D; 692-F-G]

नाथूलाल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 43; उमाशंकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 642: [2001] 3 पूरक। एससीआर 646; रघुनाथ सिंह बनाम। राज्य

एम. पी. 1967 जे. एल. जे. 234 (एस. सी.)-पर निर्भर था।

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य ने यह दिखाने के लिए सबूत दिए कि जब्त किए गए माल पर अपीलार्थी की फर्म के लेबल थे और आगे कहा कि नहीं

परिवहन लाइसेंस उपलब्ध था। हालाँकि, यह अपने आप में उनके ज्ञान में वन उपज के अवैध कब्जे को स्थापित नहीं करता है। यह यहाँ है कि धारा 69 के तहत धारणा लागू नहीं हो सकती है; यह केवल एक धारणा का निर्देश देता है कि वन उपज सरकार की है। अपीलार्थी ने दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे (में

माल की उत्पत्ति दिखाने के लिए 45 चालान और रसीदें),

और जहाँ से उन्हें खरीदा गया था, यह कहने के लिए कि वे थे

104 लेनदेन में प्राप्त किया गया। इसलिए सवाल यह है कि क्या धारा 27 (1) (डी) के संचालन द्वारा, प्रारंभिक अनुमान था

स्थापित किया गया। अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि डिब्बों

हवाई अड्डे से जब्त किए गए जर्मनी के गंतव्यों के लिए बाध्य थे, [2021] 8 एस. सी. आर.

फ्रांस, स्पेन आदि। प्रस्तुत रसीदें या प्राथमिक साक्ष्य

अपीलार्थी द्वारा, न्यायालय में प्रदर्शित नहीं किया गया था; और न ही कोई

साक्ष्य से पता चलता है कि वास्तव में, विक्रेताओं का पता लगाने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए तेल राज्य द्वारा बनाया गया था, और यह कि सबूत प्रस्तुत किए गए थे

अपीलार्थी द्वारा किया गया कार्य अविश्वसनीय था। राज्य ने छुट्टी नहीं दी थी किसी भी संदेह से परे साबित करने का इसका बोझ, कि अपीलार्थी के पास था

इस तथ्य का ज्ञान कि माल मूल रूप से अवैध था। [पारस 26,

27] [692 - जी-एच; 693-ए, सी-एफ]

1.5 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि यह धारणा कि राज्य से संबंधित वन उपज की जब्ती, स्वचालित रूप से अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान लगा सकती है-दूसरे शब्दों में, कि माल की जब्ती का वास्तविक अर्थ यह है कि अपीलार्थी को उनकी अवैध प्रकृति या उत्पत्ति के बारे में सचेत जानकारी थी, या कि अभियुक्त की पारगमन पास के लिए जिम्मेदार होने में असमर्थता, यह दर्शाती है कि उन्होंने अवैध रूप से माल की खरीद की थी, इस प्रकार धारा 27 को आकर्षित करती है। तर्क की ऐसी छलांग उचित नहीं है, यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने दस्तावेजों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की थी

यह बताते हुए कि उन्होंने विचाराधीन तेल कैसे प्राप्त किया था। उन सामग्रियों (जो उसके कब्जे में थीं) के उत्पादन में राज्य की परिश्रम की अनुपस्थिति और यह साबित करना कि वे विश्वसनीयता के बिना थे, एक दोषसिद्धि का परिणाम नहीं हो सकता है। न ही अदालत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती थी कि जब्त किए गए माल की नीलामी और उनकी खरीद में अपीलार्थी की भागीदारी ने उन्हें फंसाया था। इस तरह के आचरण के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी इच्छा भी शामिल है। इस मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के फैसले में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि धारा 69 का परिणाम एक ऐसी धारणा है जो किसी अपराध के संबंध में सबूत का उल्टा बोझ डालती है-ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है

उस प्रावधान के सादे पाठ से; और धारा 27 (1) (डी) में माल की प्रकृति, यानी उनके अवैध मूल के बारे में सचेत ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे सबूत देने के लिए मजबूर करता है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि बचाव पक्ष के कब्जे में और राज्य को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को अदालत में पेश भी नहीं किया गया था, और न ही भारत भूषण अग्रवाल बनाम को प्राथमिक साक्ष्य दिया गया था।

केरल राज्य

उस संबंध में राज्य की दलीलों को साबित करें। विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण है और इसे दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 28 30] [693-एफ-एच; 694-ए-ई]

सुरेश लोहिया बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1996) 10 एससीसी

397 : [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 130-लागू नहीं होता है।

वन क्षेत्र अधिकारी बनाम. पी. मोहम्मद अली 1993 सप

(3) एस. सी. सी. 627; मानक आवश्यक तेल उद्योग बनाम। जंगल।

रेंज अधिकारी (2018) 16 एस. सी. सी. 180: [2018] 3 एससीआर 532

पर भरोसा किया।

घुरेलाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 10 एससीसी

450 [2008] 11 एस. सी. आर. 499 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 11 एससीआर 499

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[1996] 5 पूरक। एससीआर 130

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 7

[2018] 3 एससीआर 532

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2001] 3 पूरक। एससीआर 646

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2009 का No.834

उच्च न्यायालय के 19.12.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2001 की आपराधिक अपील No.556 में एर्नाकुलम में केरल का।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजीव के गर्ग, आशीष गर्ग, टी. एल. गर्ग,

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सी. के. सासी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील केरल के एक फैसले पर सवाल उठाती है।

उच्च न्यायालय 1 विद्वत सत्र न्यायाधीश के फैसले को उलटना और इसके परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि और सजा (3 वर्ष की) को बहाल करना।

कारावास) केरल वन अधिनियम (इसके बाद "अधिनियम") की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए।

2. पहला अपीलार्थी अपीलार्थी की फर्म का भागीदार होता है, और दावा करता है

चंदन के तेल का निर्माता और व्यापारी बनना। 4 जनवरी 1994 को, 1 दिनांक 19-12-2008, सी. आर. एल. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूचना मिलने पर केरल वन विभाग के अधिकारी करीपुर हवाई अड्डे पर अपीलार्थियों से संबंधित 460 किलोग्राम चंदन के तेल वाले 37 डिब्बों को जब्त किया गया। बाद में राज्य द्वारा एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान अपीलार्थियों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें 73.6 किलोग्राम चंदन का तेल जब्त किया गया। अपीलार्थी ने वन उपज के अवैध कब्जे और इसकी आवाजाही के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने चंदन के तेल का प्रसंस्करण और निर्माण किया, जिसे बाद में चार अलग-अलग देशों को निर्यात किया गया। केरल वन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत

विभाग ने आरोप लगाया कि चंदन का तेल एक वन उत्पाद था और पारगमन लाइसेंस के बिना इसकी आवाजाही भी अवैध थी। 3. शिकायत शुरू होने के बाद शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही में, अपीलार्थी ने आपराधिक जिम्मेदारी से इनकार करते हुए तर्क दिया,

अन्य, कि चंदन का तेल एक वन उपज नहीं था और बल्कि, वह चंदन की लकड़ी थी। यह आग्रह किया गया कि इसके बावजूद, एक वैध और मौजूदा लाइसेंस ने अपीलार्थी को चंदन के तेल के निर्माण के लिए अधिकृत किया। अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों से पूछताछ की; अपीलार्थी ने बचाव पक्ष के दो गवाहों की गवाही पर भरोसा किया। अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट थामारसेरी (इसके बाद "निचली अदालत") ने निर्णय 2 द्वारा अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में दोषी ठहराया और उसे रुपये का भुगतान करने की सजा सुनाई। 2000 जुर्माने के रूप में और अधिनियम की धारा 27 (1) (डी) के तहत तीन साल और केरल वन उत्पाद पारगमन नियमों (इसके बाद "नियम") के नियम 23 के साथ पठित नियम 3 (iii) के तहत छह महीने के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा।

4. दर्ज की गई दोषसिद्धि और उस पर लगाई गई सजा से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने सत्र न्यायालय, कोझिकोड का दरवाजा खटखटाया

डिवीजन (इसके बाद "सत्र न्यायालय") जिसने अपने निर्णय 3 से परेशान किया

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष। सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र को देखते हुए, कारखाने में उसके पास चंदन का तेल होने को अवैध नहीं कहा जा सकता है और धारा 27 के तहत दोषसिद्धि केवल तभी दर्ज की जा सकती है जब यह पाया जाए कि चंदन का तेल अवैध रूप से, या किसी भी आरक्षित वन, या आरक्षित वन के रूप में गठित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से प्राधिकरण के बिना हटाया गया था।

5. अपीलार्थी के बरी किए जाने और विद्वान सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने अपील की। उच्च न्यायालय, जो

2 दिनांकित 19.08.1997

3 दिनांक 20.11.2000 भारत बूशन अग्रवाल v. केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इस अपील पर विचार करते हुए दो मामलों में सत्र न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया। विवादित फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि अपीलकर्ताओं के पास चंदन के तेल के निर्माण का लाइसेंस था, फिर भी वे इतनी बड़ी मात्रा में चंदन के तेल के कब्जे का हिसाब देने में विफल रहे। जब संबंधित अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो संबंधित आरोपी या व्यक्ति एकत्र किए गए कच्चे माल और निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का उचित लेखा-जोखा दिखाने के लिए बाध्य होता है।

चंदन का तेल। पीडब्लू-4 की गवाही पर भरोसा करते हुए, जिसने कहा था कि अभियुक्त संबंधित तिथियों और विवरणों को प्रस्तुत करने में विफल रहा

अदालत ने कहा कि कच्चे चंदन और कच्चे चंदन के तेल (जिसे 'लाल तेल' के रूप में जाना जाता है) की खरीद, मुकदमे के दौरान भी, अपीलकर्ता उन व्यक्तियों के संबंध में कोई विवरण देने में विफल रहा था जिनसे

इन कच्चे माल की खरीद की गई थी। इस महत्वपूर्ण पहलू की व्याख्या करने में बचाव पक्ष की विफलता ने सत्र न्यायालय के निष्कर्षों को कमजोर बना दिया। अधिनियम की धारा 69 पर ध्यान देते हुए, जिसमें किसी भी मामले में कब्जा पाए जाने की स्थिति में दोषी होने की धारणा को अनिवार्य किया गया था, उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को एकत्र और उपयोग किए गए कच्चे माल के बारे में एक लेखा देना चाहिए था। राज्य को ध्यान में रखते हुए

यह प्रस्तुत करते हुए कि 5430 किलो चंदन के तेल के निर्माण के लिए कम से कम 5600 किलोग्राम कच्चे चंदन के तेल की आवश्यकता होती है, जिसे बदले में कम से कम 200 मीट्रिक टन चंदन से निकालने की आवश्यकता होती है, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विनिर्माण लाइसेंस पर निर्भरता

केवल चंदन के तेल के कब्जे की व्याख्या करने के लिए किसी भी तरह से अपीलार्थी को आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया।

6. उच्च न्यायालय ने भी घुरेलाल बनाम मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य का कहना है कि अपीलीय न्यायालय

बरी किए जाने के आदेश में केवल पर्याप्त और मजबूर करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।

कारणों से। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि के सत्र न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए कोई सम्मोहक या ठोस कारण नहीं थे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या उन अंतर्निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए जो आम जनता की भलाई के लिए थे।

7. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अपराध केवल तभी किया गया है जब विचाराधीन लेख "वन" हो।

उत्पादन "। अधिनियम में उस शब्द की परिभाषा के आधार पर, यह था

प्रस्तुत किया कि धारा 2 (च) (i) 'विशेष रूप से बताती है कि चंदन एक है

इस तरह के उत्पाद। इसलिए, लकड़ी के तेल के संदर्भ को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

"चंदन का तेल" शामिल करें। अपीलार्थियों के वकील ने निर्णयों पर भरोसा किया सुरेश लोहिया बनाम में इस न्यायालय का। महाराष्ट्र राज्य और हाल में

यह आग्रह करने के लिए कि अदालतें किसी कानून के दायरे का विस्तार नहीं कर सकती हैं, इसके पाठ से हटकर, विशेष रूप से यदि इसमें आपराधिक दायित्व को बढ़ाना शामिल है। 8. यह तर्क दिया गया कि जैसा कि अपीलार्थी ने साबित किया कि उसके पास लाल तेल से चंदन का तेल बनाने का वैध लाइसेंस था, कोई अपराध नहीं था।

बनाया गया। यह तर्क दिया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा रखे गए दस्तावेजों के माध्यम से कच्चे माल का अधिग्रहण स्थापित किया गया था। परिणामस्वरूप चंदन के तेल के कब्जे में अवैधता का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। श्री रंजीत कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार नहीं किया कि अपीलकर्ताओं ने चंदन के तेल के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल कहाँ और कैसे प्राप्त किया गया था, इस बारे में जानकारी वाले रजिस्टर को विधिवत बनाए रखा था और इसके विपरीत व्यक्तियों या फर्मों द्वारा कोई सबूत नहीं होने के कारण इस तरह के कच्चे माल की आपूर्ति करने पर, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि तैयार उत्पाद अवैध रूप से प्राप्त चंदन या चंदन से निकाले गए लाल तेल से उत्पन्न हुआ था। यह बताया गया कि अपीलकर्ताओं ने अपने व्यवसाय के दौरान निर्माण के लिए लाइसेंस पर भरोसा किया था

चंदन का तेल और इसके लिए उचित चैनलों के माध्यम से इसका निर्यात किया जा रहा था

कई साल। इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का मूल्यवान अधिग्रहण हुआ।

देश के लिए। अगर कोई अवैधता होती तो इस तरह का निर्यात बहुत पहले ही बंद हो जाता। 9. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 27 और धारा 69 के बीच अंतर पर विचार करने में विफल रहा। यह था।

5 धारा 2 (च) इस प्रकार हैः (च) "वन उपज" में शामिल हैं-(i) निम्नलिखित चाहे वे जंगल में पाए जाएं या लाए जाएं या नहीं, अर्थात। - लकड़ी, लकड़ी का कोयला, लकड़ी-तेल, गम, राल, प्राकृतिक वार्निश छाल लाख, रेशे और चंदन की लकड़ी और रोजवुड की जड़ें; और (ii) जब किसी जंगल में पाए जाते हैं, या लाए जाते हैं, तो निम्नलिखित कहते हैं-(क) पेड़ों के पेड़ और पत्ते, फूल और फल, और अन्य सभी भाग या उत्पादन जो यहां पहले उल्लेख नहीं किए गए हैं; (ख) पेड़ नहीं होने वाले पौधे (घास, लता, रीड़ और काई सहित) और ऐसे पौधों के सभी भाग या उत्पाद; और (ग) रेशम के कोकून, शहद और मोम; (घ) पीट, सतह की मिट्टी, चट्टान और खनिज (चूना पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल और खानों के सभी उत्पाद) या

खदानें); " 6 (1996) 10 एस. सी. सी. 397

1 7 (2018) 16 एस. सी. सी. 180 भारत बूशन अग्रवाल बनाम। केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इस बात पर जोर दिया कि धारा 69 केवल वन उपज को संदर्भित करती है जबकि धारा 27 आरक्षित वन से अवैध रूप से हटाए गए वन उत्पाद को संदर्भित करती है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को यह मानते हुए दोषी ठहराया कि धारा 69 के तहत अनुमान लागू होता है। वास्तव में, अपीलार्थी ने उन व्यक्तियों और फर्मों के विवरण के संबंध में बनाए गए रजिस्टरों को प्रस्तुत करके उन पर रखे गए बोझ का निर्वहन किया था जिनसे उन्होंने लाल तेल खरीदा था। इसलिए, अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था कि वह यह साबित करे कि ऐसी प्रविष्टियाँ झूठी थीं। कार्य के सामान्य क्रम में बनाए रखने के बाद, अदालतें, विशेष रूप से निचली अदालत और उच्च न्यायालय, इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में असमर्थ था कि

चंदन का तेल और इसलिए, इसके कब्जे का आधार अवैध था।

10. इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि धारा 27 केवल तभी लागू होती है जब अदालत ने पाया कि जब कोई फर्म या संस्था जानबूझकर प्राप्त करती है, या उसका कब्जा होता है

विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष अवैध रूप से हटाई गई किसी भी वन उपज को साबित करने में विफल रहा। अभियोजन पक्ष ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि अपीलार्थी ने जानबूझकर आरक्षित वन से अवैध रूप से हटाए गए किसी भी वन उत्पाद को प्राप्त किया था या उसके कब्जे में था। इसी तरह, यह मामला नहीं था कि किसी भी वन उपज को आरक्षित वन से अवैध रूप से हटा दिया गया था और उस उद्देश्य के लिए कोई भी कार्यवाही लंबित थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नीचे की अदालतें विफल रहीं

इस बात की सराहना करते हैं कि शिकायत में आरक्षित वन से वन उपज को अवैध रूप से हटाने का आरोप नहीं लगाया गया था। इसी तरह, चार गवाहों के साक्ष्य से पता चला कि उनमें से किसी ने भी दूर से यह सुझाव नहीं दिया कि पाए गए वन उपज को अवैध रूप से आरक्षित वन से हटा दिया गया था। तदनुसार, अधिनियम की धारा 27 (1) (डी) के तहत अपराध बनाने वाले तत्व साबित नहीं हुए थे।

11. यह आग्रह किया गया कि धारा 69 एक धारणा को लागू करती है कि वन उपज को सरकार की संपत्ति माना जाता है, जहां स्वामित्व विवादित है। साथ ही, धारा 27 (1) (डी) इसे एक अपराध बनाती है जहां किसी के पास वन उपज का सचेत कब्जा है जो है -

एक आरक्षित वन से अवैध रूप से हटाया गया। इस संदर्भ में, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की फर्म के पास चंदन के तेल के निर्माण के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी वैध एल-4 लाइसेंस है। अपीलार्थी का पंजीकरण

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत फर्म की स्थापना की गई थी। कंपनी के पास चंदन से चंदन का तेल बनाने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। इसलिए यह स्पष्ट है कि

कि विभाग ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि इसमें शामिल वन उपज को वास्तव में अवैध रूप से हटा दिया गया था। फर्म को अपने गोदाम और अन्य जगहों पर चंदन के तेल को रखने और उसका सौदा करने का अधिकार था।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि फर्म के गोदाम के साथ-साथ हवाई अड्डे पर चंदन का तेल रखना अवैध था। या अनधिकृत। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि अपीलकर्ता खरीद के संबंध में किसी अवैधता में लिप्त था

कच्चे माल के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई होगी।

12. राज्य का तर्क है कि इस अदालत को विवादित फैसले द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके वकील, श्री सी. शशि प्रस्तुत करते हैं कि इस पर कोई बहस नहीं हो सकती है कि क्या

चंदन का तेल एक वन उत्पाद है। विद्वान वकील ने वन क्षेत्र अधिकारी बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। पी.

मोहम्मद अली और उन्होंने प्रस्तुत किया कि बाद में मानक आवश्यक तेल उद्योगों (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में, वास्तव में, जोर देकर कहा गया है कि अधिनियम में परिभाषित "वन उपज" में चंदन का तेल शामिल है।

स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को यह साबित करने के लिए कहा गया है कि ऐसा कब्जा वैध था, कि वन उपज वैध स्रोतों के माध्यम से खरीदी गई थी, न कि कानून के विपरीत तरीके से। 13. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की ओर से केवल यह बयान कि वे चंदन के तेल का सौदा करते थे, संसाधित या

केंद्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों में, यह समझाने के लिए कि ऐसी वस्तुओं का स्रोत वैध था। अपने आप में, ऐसे दस्तावेज अपर्याप्त थे। धारा 69 के तहत अनुमान सबसे पहले राज्य द्वारा वन उपज का कब्जा स्थापित करने के बाद संचालित हुआ। इस मामले में, चंदन का तेल एक वन उत्पाद है। हवाई अड्डे पर अपीलार्थी के चंदन के तेल की जब्ती और उसके बाद उनके परिसर से 73.60 किलोग्राम चंदन के तेल की तलाशी और जब्ती के परिणामस्वरूप, मूलभूत जिम्मेदारी जो राज्य पर होती है। इसलिए, धारा 69 और उसके द्वारा अधिनियमित धारणा को आकर्षित किया गया। इसके बाद यह भार अपीलार्थी पर डाल दिया गया ताकि यह स्थापित किया जा सके कि वन उपज वैध रूप से प्राप्त की गई थी और उन्हें वस्तुओं पर कानूनी अधिकार था। यह दोहराया गया कि इस बोझ को केवल यह कहकर नहीं हटाया जा सकता है कि

कुछ व्यापारियों ने अलग-अलग मात्रा में लाल तेल की आपूर्ति की थी। व्यापारी, या

8 1993 उदाहरण के लिए (3) एस. सी. सी. 627 भारत बूशन अग्रवाल बनाम। केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उनमें से कुछ को गवाह के बक्से में प्रवेश करना चाहिए था और साबित करना चाहिए था कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान सही थे। अपीलार्थी ने केवल चालान और रजिस्टरों पर भरोसा किया, जो अपर्याप्त थे और उचित सत्यापन के लिए सभी विवरण प्रदान नहीं किए थे। निचली अदालत ने कहा कि ये तथ्य जांचकर्ता के बयान से स्थापित हुए हैं।

अधिकारी। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता था कि अपीलार्थी ने यह साबित करने का भार वहन किया था कि वन उपज उनके द्वारा वैध रूप से सुरक्षित या स्रोत की गई थी और इसका कब्जा वैध था।

14. विद्वान वकील ने घुरेलाल (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि यदि अपीलीय अदालत दोषसिद्धि को उलट देती है

बिना किसी बाध्यकारी कारण के, और अभिलेख के विपरीत, साक्ष्य या कानून की गलत सराहना के आधार पर, उच्च न्यायालय ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है। इन सभी दलीलों के आधार पर, राज्य आग्रह करता है कि इस अदालत को अपील को खारिज कर देना चाहिए और निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि की पुष्टि करनी चाहिए।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

15. धारा 2 (च) "वन" को परिभाषित करती है और कहती हैः

" 2. ..... (च) "वन" में शामिल हैंः

(i) निम्नलिखित, चाहे वे किसी जंगल में पाए गए हों या वहां से लाए गए हों।

या ऐसा नहीं है, कहने के लिए

लकड़ी, लकड़ी का कोयला, लकड़ी-तेल, गम, राल, प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, रेशे और चंदन और रोजवुड की जड़ें;

और

((ii) निम्नलिखित जब किसी जंगल में पाए जाते हैं या लाए जाते हैं,

क) पेड़ों और पत्तियों, फूलों और फलों और अन्य सभी भागों या यहाँ-में-पहले उल्लिखित नहीं, पेड़ों का उत्पादन।
ख) ऐसे पौधे जो घास, लता, खरपतवार और काई सहित पेड़ नहीं हैं और ऐसे पौधों के सभी भाग या उपज;

ग) रेशम के कोकून, शहद और मोम, और

घ) पीट, सतह की मिट्टी, चट्टान और खनिज (चूने सहित) पत्थर, लेटराइट), खनिज तेल और खानों या खदानों के सभी उत्पाद।

धारा 27 इस प्रकार हैः

" 27. (1) कोई भी व्यक्ति जो

(क) धारा 7 द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करता है; या

(ख) किसी आरक्षित वन या जलती हुई पत्तियों में आग लगा देता है।

या (ग) आरक्षित वनों के अलावा अन्य जंगलों या जंगलों में आग लगा देता है।

आरक्षित वन में आग के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए बिना वनों और भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का प्रस्ताव; या

(घ) जानबूझकर किसी आरक्षित वन से अवैध रूप से हटाई गई किसी भी वन उपज को प्राप्त करता है या उसके कब्जे में है; या एक आरक्षित वन का गठन करने के लिए प्रस्तावित भूमि; या

(ई) किसी आरक्षित वन में या प्रस्तावित भूमि में

संरचनाएँ या पौधे के पेड़; या ((ii) किसी भी दीवार, खाई तटबंध को नुकसान पहुंचाता है, बदल देता है या हटा देता है,

बाड़ की बाड़ या रेलिंग; या

((iii) किसी भी पेड़ या कमरबंद को काटना, निशान, लूप, नल, उखाड़ना, जलाना, आरी लगाना, परिवर्तित करना या किसी भी पेड़ को हटाना।

जिसमें गिरी हुई या गिरी हुई, या छाल या पत्तियों को काटना या अन्यथा उसी को नुकसान पहुंचाना शामिल है;

((iv) पशुओं का अतिक्रमण या चरागाह या अनुमति या पशुओं का कारण बनना।

अतिक्रमण करना; या

(v) पत्थरों की खदान, चूने या लकड़ी का कोयला जलाना या एकत्र करना या

किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन या किसी भी वन उत्पाद को हटा देता है; या

(vi) किसी भी पेड़ को काटने, ईख को काटने या लकड़ी को काटने या खींचने में लापरवाही से कोई नुकसान पहुंचाता है,

उस दल के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन पांच वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा भारत भूषण अग्रवाल v.

लेकिन इस तरह के अलावा पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है

वन को हुए नुकसान के लिए मुआवजा

दोषी ठहराने वाली अदालत भुगतान करने का निर्देश दे सकती है। .

***

धारा 69 निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 69. जब इस अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्यवाही में, या

इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप, एक प्रश्न

यह उत्पन्न होता है कि क्या कोई वन उपज की संपत्ति है केंद्र या राज्य सरकार, ऐसी उपज होगी

केंद्र या राज्य की संपत्ति मानी जाती है

सरकार, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इसके विपरीत

साबित कर दिया। ”

16. नियमों के नियम 3 में कहा गया है कि कोई भी आयात या निर्यात नहीं कर सकता है

लकड़ी या अन्य वन उपज या परिवहन, जब तक कि नियमों द्वारा निर्धारित कोई पास इसकी आवाजाही के साथ न हो। नियम 3 (3) इस तरह के पास प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। नियमों के नियम 23 में यह निर्धारित किया गया है कि नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए दंड दिया जाएगा।

अवधि जो छह महीने तक बढ़ सकती है या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों।

17. वन क्षेत्र अधिकारी बनाम। पी. मोहम्मद अली (ऊपर) द

अधिनियम के प्रावधान, जिनसे यह अदालत इस मामले में संबंधित है, यानी केरल वन अधिनियम, की व्याख्या इस दलील के संदर्भ में की गई थी कि चंदन का तेल "वन उपज" नहीं था और "लकड़ी का तेल" अभिव्यक्ति गणना की गई वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के लिए संदर्भित थी (जैसे कि

जैसे चंदन, रोजवुड, जड़ें, आदि) और आगे यह कि लकड़ी का तेल प्राकृतिक उत्पादों को संदर्भित करता है न कि प्रसंस्करण के माध्यम से प्राप्त उत्पादों को। इस अदालत ने इस तरह की व्याख्या को खारिज कर दिया और कहा किः

" 6. ..... इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई

भारत में आवश्यक तेलों के प्रकार, महत्वपूर्ण हैं चंदन का तेल, अगर-लकड़ी का तेल, देवदार का तेल और देवदार का तेल, इसके अलावा

ओलियो-राल और लकड़ी के तेल से निकलता है

वन क्षेत्र में रहने वाले पेड़। ये आवश्यक तेल प्राप्त किए जाते हैं।

किसी भी जंगल की लकड़ी से। उच्च द्वारा देखी गई चंदन की लकड़ी

कोर्ट वन उपज है। यहाँ तक कि इसकी जड़ें भी शामिल हैं।

वन उपज के रूप में। वे अर्थ के भीतर लकड़ी भी हैं

अधिनियम की धारा 2 (के)। अधिनियम का उद्देश्य संरक्षण करना है।

वन संपदा जो [2021] 8 एस. सी. आर. को बनाए रखने के लिए संरक्षण के लिए बहुत महंगी है।

पारिस्थितिकी। धारा 2 (च) के तहत परिभाषित वन उत्पाद समावेशी परिभाषा। यह तय कानून है कि 'शामिल' शब्द का उपयोग आम तौर पर विस्तार के शब्द के रूप में किया जाता है। जब उपयोग किया जाता है

व्याख्या खंड, यह क़ानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बड़ा करने का प्रयास करता है। कानून पर क्रेज़, पी पर 7 वां संस्करण। 64 शब्दों और वाक्यांशों के अर्थों को अपनाने के लिए निर्माण कहा गया है कि " संसद के अधिनियमों के निर्माण के लिए मुख्य नियम यह है कि उनका अर्थ अधिनियमों में व्यक्त इरादे के अनुसार लगाया जाना चाहिए। यदि कानून के शब्द स्वयं सटीक और असंदिग्ध हैं, तो उन शब्दों को उनके सामान्य और प्राकृतिक अर्थों में व्याख्या करने के अलावा और कुछ आवश्यक नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में केवल शब्द ही कानून देने वाले के इरादे की सबसे अच्छी घोषणा करते हैं।

पी. 214 यह कहा गया है कि एक व्याख्या खंड जो किसी शब्द के अर्थ का विस्तार करता है, उसके सामान्य अर्थ को नहीं छीनता है। समावेशी परिभाषा का एक व्याख्या खंड

यह शब्द को अपने सामान्य, लोकप्रिय और प्राकृतिक अर्थ को प्राप्त करने से रोकने के लिए नहीं है जब भी वह शब्द ठीक से उपयोग किया जाता है। लागू होता है, लेकिन अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द को सक्षम करने के लिए, जब संदर्भ या विषय में कुछ भी नहीं है-इसके विपरीत, उन चीजों पर लागू किया जाना चाहिए जिन पर यह लागू नहीं होगा

एक व्याख्या खंड का उपयोग उन शब्दों की व्याख्या करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए जो अस्पष्ट या अस्पष्ट हैं, न कि ऐसे शब्दों के अर्थ को बाधित करने के लिए जो स्पष्ट हैं। पी. 216 यह कहा गया है कि एक व्याख्या खंड के प्रभाव के संबंध में एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि एक व्याख्या खंड को शब्दों के एक समूह को दूसरे के स्थान पर रखने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, या सभी परिस्थितियों में शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, इसे सख्ती से परिभाषित करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि यह घोषणा करने के रूप में कि भीतर क्या समझा जा सकता है।

वह शब्द जहाँ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है कि इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

**

**

*

**

8. धारा 2 (च) के तहत परिभाषा में शामिल शब्द से पता चलेगा कि इसका इरादा लकड़ी के तेल को बाहर करने का नहीं था जिसे आम तौर पर और आम बोलचाल में लकड़ी के तेल के रूप में कहा जाता है। यह अभिव्यक्ति तकनीकी है और एक समावेशी भारत बूशन अग्रवाल का हिस्सा है।

केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

परिभाषा को इसके तकनीकी अर्थों में समझा जाना चाहिए, लेकिन एक संपूर्ण तरीके से, इसे इस तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है ताकि अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य और उद्देश्य को विफल किया जा सके। जिस प्रक्रिया से तेल निकाला जाता है वह तेल के रूप में निर्णायक नहीं है।

इसे प्राकृतिक निकास प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है या इसे रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के अधीन निकाला जा सकता है और चंदन (सैन्टलम एल्बम) को टुकड़ों में काटा जाता है। इसकी हार्टवुड और जंगल से हटाए गए चंदन के पेड़ों की जड़ों का उपयोग कारखाने के स्तर पर कच्चे माल के रूप में किया जाता है और वह भी चंदन का तेल निकालने के लिए मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा। जिस उद्देश्य के लिए तेल का उपयोग किया जाता है वह निर्णायक नहीं है। इसलिए, अधिनियम में उपयोग किए गए लकड़ी के तेल शब्द की उस संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होगी जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है और

अर्थ को ध्यान में रखते हुए पता लगाना होगा

इरादा और उद्देश्य जिसे विधायिका कम करना चाहती है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंधित अर्थ उद्देश्य को विफल कर देगा और शाब्दिक व्याख्या अर्थ को विफल कर देगी। विधायिका लकड़ी के तेल शब्द को प्रतिबंधित करने का इरादा नहीं रखती है और न ही हम अधिनियम में कोई बाध्यकारी परिस्थितियां पाते हैं जो सीमित अर्थ देती हैं कि केवल डिप्टेरोकार्पस के पेड़ों से प्राप्त तेल लकड़ी का तेल है जैसा कि तर्क दिया गया है।

अभियुक्त और जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति मिली। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या चंदन की लकड़ी के संरक्षण में सहायता करेगी, जो एक मूल्यवान वन संपदा है, अवैध कटाई और उनके परिवहन को रोकेगी और चंदन के पेड़ों या चिप्स या जड़ों आदि के कब्जे के लिए चंदन के तेल के निर्माताओं को जवाबदेह बनाएगी। कर्नाटक अधिनियम में चंदन के तेल का समावेश और दक्षिण भारत में संचालित सहायक अधिनियमों में इसकी अनुपस्थिति इसे उचित अर्थ देने से पीछे नहीं हटती है। विशेषज्ञ राय केवल दोनों पक्षों की राय का प्रमाण है और व्याख्या में हमारी सहायता नहीं करता है।

आदित्य मिल्स लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ [(1988) 4 एस. सी. सी. 315] ने शब्दकोश के अर्थ को नहीं अपनाया क्योंकि यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम में प्रविष्टियों की व्याख्या करने के लिए कुछ हद तक भ्रामक मार्गदर्शक हो सकता है। किशन लाल बनाम। की स्थिति

राजस्थान [1990 पूरक एस. सी. सी. 742] जिसमें से हम में से एक, सहाय, जे. सदस्य थे, इस न्यायालय को 'चीनी' शब्द पर विचार करना था कि क्या राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 के तहत एक कृषि उपज है। यह तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 8 एस सी आर।

खंडसारी चीनी एक कृषि उपज नहीं थी। पीछे हटना उस तर्क पर, इस न्यायालय ने माना कि कृषि शब्द

उपज में सभी उपज शामिल हैं चाहे वह कृषि हो,

बागवानी, पशुपालन या अन्यथा जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है

अनुसूची। जोड़ने या शामिल करने की विधायी शक्ति और

संपूर्ण नहीं लेकिन समावेशी नहीं है और न ही उत्पादित किसी भी वस्तु को बाहर रखा गया है। मिलों या कारखानों में और न ही यह उत्पादन के लिए अपनी चौड़ाई को सीमित करता है

मिट्टी। अगर वह निर्माण है तो पशुओं की सभी वस्तुएँ पशुपालन को बाहर रखा जाएगा। यह आगे अनदेखी करता है

अभिव्यक्ति "या अन्यथा अनुसूची में निर्दिष्ट के रूप में"।

तदनुसार यह माना गया कि खंडसारी चीनी एक कृषि है।

उस अधिनियम के तहत उत्पादन।

18. दूसरे फैसले में, दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया गया, यानी मानक आवश्यक तेल उद्योग (उपरोक्त), मुद्दा यह था कि क्या चंदन की लकड़ी केरल वन अधिनियम की धारा 61 ए के प्रावधानों के आधार पर तेल को जब्त किया जा सकता है। इस अदालत ने कहा कि चंदन का तेल, हालांकि एक वन उपज है, इसके प्रतिबंधात्मक शब्दों को देखते हुए धारा 61 ए का विषय नहीं हो सकता हैः

" 21. वन उपज की परिभाषा का अवलोकन, जैसा कि दिया गया है

अधिनियम की धारा 2 (च) से पता चलता है कि लकड़ी के अलावा,

लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी जिसमें लकड़ी का तेल, गम, राल, प्राकृतिक शामिल हैं।

विशिष्ट शब्द "लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी और हाथीदांत" धारा 61-ए के तहत "किसी भी वन उपज या हाथी दांत" के बजाय

यह स्पष्ट करता है कि प्रदान करने में विधायिका का इरादा धारा 61-ए के तहत शस्त्रागार केवल कुछ मामलों के संबंध में है।

9 वह प्रावधान, अर्थात धारा 61 ए, राज्य विधानसभा द्वारा 1975 में अंतःस्थापित की गई थी, और अन्य बातों के साथ-साथ, उन मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जहां राज्य, वन उपज को जब्त करने के अलावा, संपत्ति और अपराध करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को जब्त करने का भी इरादा रखता है। धारा 61 ए का भौतिक भाग इस प्रकार हैः " 61 कुछ मामलों में वन अधिकारियों

द्वारा जब्ती। - (1) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, जहां यह माना जाता है कि लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी या हाथीदांत, जो सरकार की संपत्ति है, के संबंध में वन अपराध किया गया है, धारा 52 की उप धारा (1) के तहत संपत्ति को जब्त करने वाला अधिकारी, बिना किसी अनुचित देरी के, ऐसे अपराध को करने में उपयोग किए गए सभी उपकरणों, रस्सियों, जंजीरों, नौकाओं, वाहनों और मवेशियों के साथ, इसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत एक अधिकारी के सामने पेश करेगा, जो सहायक वन संरक्षक (इसके बाद अधिकृत अधिकारी के रूप में संदर्भित) के पद से नीचे नहीं है। भारत बूशन अग्रवाल बनाम।

केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उसमें निर्दिष्ट श्रेणी और प्रत्येक वन उपज के लिए नहीं

अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित किया गया है। निसन्देह,

चंदन का तेल एक वन उपज है लेकिन धारा 61-ए

अधिनियम केवल उसमें निर्दिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित है और करता है

कि अधिनियम की धारा 69 केवल साक्ष्य का एक नियम है जो एक अनिवार्य धारणा को बढ़ाता है कि एक वन उत्पादन, जब तक कि

अन्यथा साबित होना, सरकार की संपत्ति है।

जहाँ अधिनियम या किसी अन्य चीज़ के तहत कोई कार्यवाही चल रही हो।

अधिनियम के तहत किया जाता है। खंड केवल एक उपकरण के रूप में काम करता है

संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने में सरकार की मदद करें लेकिन

उक्त खंड को कोई शक्ति देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

संपत्ति की जब्ती।

(जोर दिया गया)

19. सुरेश लोहिया (ऊपर) में, इस अदालत ने एक असंगत टिप्पणी की,

"प्रकृति के उपहारों" जैसे लकड़ी का कोयला, महुआ, या खनिजों और मानव की सहायता से उत्पादित वस्तु के बीच अंतर करना।

आर "जो, इसके अनुसार, की परिभाषा में शामिल नहीं था

अधिनियम के तहत उत्पादः

" 7. विधायिका ने "वन-उपज" को परिभाषित किया है, यह नहीं है

परिभाषा में कुछ ऐसा पढ़ने की अनुमति है जो

वहाँ नहीं। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वन संपदा संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है; लेकिन, यह हमारे लिए कानून बनाने के लिए खुला नहीं है,

जैसा कि एक अदालत किसी मामले में क्या कर सकती है जैसे कि हाथ में है

क्रेस; यह एक नई बनावट नहीं बुन सकता है। अगर कोई कमी है

परिभाषा में यह वास्तव में विधायिका का ध्यान रखना है एक ही।

समुदाय के रूप में पूरी तरह से अलग अस्तित्व में लाया जाता है मानव श्रम, ऐसी वस्तु और उत्पाद समाप्त हो जाएगा

एक वन-उपज। इस अभिव्यक्ति की परिभाषा छोड़ देती है

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक लेख को अपने तह में ले लेगा।

या ऐसी चीज जो वन-उपज से पूरी तरह से अलग है, जिसमें [2021] 8 एस. सी. आर. है।

उस परिभाषा के लिए; इसकी सामान्य समझ नहीं हो सकती है निर्धारक। तो, स्ट्रौड्स न्यायिक में क्या कहा गया है

"उपज" के संबंध में शब्दकोश निर्णायक नहीं हो सकता है।

इसलिए, जहां बांस से एक उत्पाद व्यावसायिक रूप से है

इससे अलग और आम बोलचाल में एक अलग के रूप में लिया जाता है

उत्पाद, उसी के भीतर शामिल नहीं किया जाएगा

धारा 2 (4) में परिभाषित "वन-उपज" अभिव्यक्ति

अधिनियम, प्रकृति में समावेशी होने के बावजूद। वह बांस की चटाई

वाणिज्यिक में बांस से अलग उत्पाद के रूप में लिया जाता है

दुनिया, हमारे सामने विवादित नहीं हुई है और सही है।

20. यह उल्लेखनीय है कि सुरेश लोहिया (ऊपर) मामले में इस अदालत ने कोई संदर्भ नहीं दिया और वन क्षेत्र अधिकारी बनाम को विज्ञापन नहीं दिया। पी.

वन उपज का कब्जा किसी के पास पाया जाता है, जिसे राज्य (या केंद्र) सरकार का माना जाता है। अब, यह धारणा एक खंडन योग्य है; इस अदालत के कई फैसलों में कहा गया है कि मूलभूत तथ्यों को साबित करने का बोझ, जो अनुमान को जन्म देगा, अभियोजन पक्ष पर है। 1 0 वर्तमान मामले में, इसके बारे में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तथ्य यह है कि माल अपीलार्थी के परिसर से जब्त किया गया था और उसका था। हवाई अड्डे से जब्त किया गया माल, होना था

10 नूर आगा बनाम। पंजाब राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 417; भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 1 एस. सी. सी. 653 और गंगाधर @गंगाराम बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, सी. आर. में 5 अगस्त, 2020 का निर्णय। ए. नहीं. 504/2020।

विदेशों में भेजा गया। इन परिस्थितियों में, इस अदालत की राय है कि मूलभूत तथ्य, यानी वन उपज का कब्जा, राज्य द्वारा साबित किया गया था। 22. अगला सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी ने साबित किया कि उपज की खरीद ठीक से की गई थी। उनका मामला दो गुना थाः एक ऐसा जो

चंदन के तेल के निर्माण के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस के धारक, अभियोजन पक्ष को विफल होना पड़ा। अपीलार्थी ने उन वैधानिक रजिस्टरों पर भरोसा करने की मांग की थी जिन्हें वे रखने के लिए बाध्य थे। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि तेल का उत्पादन अपीलार्थी द्वारा कच्चे माल, यानी लाल तेल से किया गया था, जिसे उन्होंने कई व्यापारियों से खरीदा था, जिसके लिए लगभग 45 चालानों पर भरोसा किया गया था। जंगल को दिए गए बयान के अनुसार

अधिकारियों ने, तलाशी और जब्ती के समय, ये कच्चा माल 104 लेनदेन के दौरान प्राप्त किया गया था, जहां कम मात्रा में लाल तेल खरीदा गया था। पीडब्लू-2, वन विभाग का उड़न दस्ते का अधिकारी जिसने मुकदमे के दौरान, क्रॉस के दौरान गवाही दी

जाँच में कहा गया कि डिब्बों को हवाई अड्डे पर खुले में रखा गया था

और अपीलार्थी फर्म के लेबल लगाए हुए थे। गवाह ने आगे कहा कि सामान को जब्त कर लिया गया था क्योंकि यह ज्ञात नहीं था कि वे कहाँ से आए थे और न ही उन्हें कहाँ खरीदा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सामान, यानी चंदन के तेल के डिब्बों को "इस कारण से जब्त किया गया था कि वे कहाँ से आए थे, यह दिखाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।" अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि लाल तेल कई व्यक्तियों से प्रसंस्करण के लिए खरीदा गया था, और यह विवरण वन अधिकारियों को दिया गया था। पीडब्लू-4 इन विवरणों के सत्यापन के बारे में चुप था; उन्होंने क्रॉस में कहा आम तौर पर यह जांच की जाती है कि अपीलार्थी को तेल बेचने वाले व्यापारियों के पते प्रदान किए गए थे, लेकिन अधूरे थे। दूसरा, यह आग्रह किया गया कि अभियोजन पक्ष ने इस दलील का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि अपीलार्थी की जानकारी संदिग्ध थी, या विश्वसनीयता की कमी थी। पीडब्लू-4 ने आगे कहा था कि अदालत द्वारा उनकी रिहाई (अभियुक्तों/अपीलार्थियों को) के लिए आवेदन खारिज किए जाने के बाद, अपीलार्थी ने जब्त किए गए सामान को राज्य द्वारा नीलाम किए जाने पर खरीदा था। इस गवाह ने यह भी कहा कि चंदन के तेल की उपज चंदन से 4 प्रतिशत तक है।

23. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि चंदन का तेल एक वन उत्पाद है। तथापि, धारा 27 (1) (घ)-जो अपराध को अधिनियमित करती है-और जो

इस मामले में लागू किया गया है, अपराधी की सचेत मानसिक स्थिति की ओर इशारा करता है जब यह अधिनियम बनाता है कि जो कोई भी "जानबूझकर किसी आरक्षित वन से अवैध रूप से हटाए गए किसी भी प्रमुख वन उत्पाद को प्राप्त करता है या उसके कब्जे में है"

निर्धारित सजा के अधीन किया जाएगा। [2021] 8 एस. सी. आर. के तहत अनुमान।

धारा 69 एक सचेत मानसिक स्थिति के संबंध में नहीं है, या विधायिका द्वारा एक निर्देश है कि एक निश्चित स्थिति मौजूद मानी जाती है, लेकिन संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में यानी कि यह "राज्य का है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।"

24. यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कुछ कानूनों के विपरीत,

वर्तमान मामले में अधिनियम, कथित अपराधी की दोषी मानसिक स्थिति के बारे में कोई धारणा नहीं बनाता है। इसके बजाय, प्रकृति अनुमान है कि यह वन उपज के स्वामित्व से संबंधित है। इस महत्वपूर्ण पहलू का इस मामले पर असर पड़ता है। क्या किसी अपराध को आवश्यक पुरुष कारण के बिना किया गया कहा जा सकता है, यह अक्सर विचार के लिए सामने आया है। आम तौर पर, एक धारणा है कि मेन्स रिया प्रत्येक अपराध में एक आवश्यक घटक है। फिर भी, उस धारणा को या तो अपराध पैदा करने वाले कानून के वाक्यांश विज्ञान या उस विषय वस्तु से विस्थापित किया जा सकता है जिससे यह संबंधित है; दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। 1 2 यह न्यायालय, नाथूलाल बनाम में। मध्य प्रदेश राज्य, उस संदर्भ में, निम्नानुसार देखा गयाः

" मेन्स रिया एक आपराधिक अपराध का एक अनिवार्य घटक है।

निःसंदिग्ध रूप से एक कानून पुरुष अधिकार के तत्व को बाहर कर सकता है, लेकिन

यह इंग्लैंड में अपनाया गया निर्माण का एक ठोस नियम है और

स्पष्टीकरण-इस उप-धारा में, 'दोषपूर्ण मानसिक स्थिति' में किसी तथ्य का इरादा, उद्देश्य या ज्ञान या किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है। (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक तथ्य को केवल तभी साबित कहा जाता है जब अदालत यह मानती है कि यह उचित संदेह से परे है और केवल तब नहीं जब इसका अस्तित्व संभावना की अधिकता से स्थापित होता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 ई इस प्रकार हैः 10 ई. दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान।

स्पष्टीकरण। इस खंड में, "दोषपूर्ण मानसिक स्थिति" में इरादा, उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है। (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक तथ्य को केवल तभी साबित कहा जाता है जब अदालत यह मानती है कि यह उचित संदेह से परे है और केवल तब नहीं जब इसका अस्तित्व संभावना की अधिकता से स्थापित होता है।

1 2 शेरास बनाम। डी रुटजेन (1895) 1 क्यू. बी. 918; महाराष्ट्र राज्य बनाम। मेयर हंस जॉर्ज 1965 (1) एससीआर 123।

13 एयर 1966 एससी 43 भारत बूशन अग्रवाल बनाम। केरल राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

भारत में एक वैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने के लिए भी स्वीकार किया गया

जब तक कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पुरुष अधिकार को बाहर नहीं करता है, तब तक इसके खिलाफ होने के बजाय सामान्य कानून के अनुरूप अपराध का निर्माण करना। केवल यह तथ्य कि कानून का उद्देश्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना या एक को समाप्त करना है

गंभीर सामाजिक बुराई अपने आप में इस प्रश्न का निर्णायक नहीं है।

एक अपराध के तत्व। आवश्यक निहितार्थ द्वारा पुरुष अधिकार को केवल एक क़ानून से बाहर रखा जा सकता है जहां यह पूरी तरह से लागू होता है। स्पष्ट करें कि कानून के उद्देश्य का कार्यान्वयन अन्यथा विफल हो जाएगा। पुरुषों की प्रकृति जो

अपराध पैदा करने वाले कानून में निहित होना इस बात पर निर्भर करता है कि

अधिनियम का उद्देश्य और उसके प्रावधान।

उमाशंकर बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य 1 4 ने अस्तित्व को इस प्रकार रेखांकित कियाः

" 7. धारा 489-ए से 489-ई जाली या नकली मुद्रा नोटों के संबंध में विभिन्न आर्थिक अपराधों से संबंधित है या

बैंकनोट। इन्हें अधिनियमित करने में विधायिका का उद्देश्य

इसका उद्देश्य न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, बल्कि मुद्रा नोटों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना भी है और

बैंकनोट। मुद्रा नोटों में वृद्धि होने के बावजूद

क्रेडिट कार्ड प्रणाली की आदत, अभी भी रीढ़ की हड्डी

हमारे देश में भीड़ द्वारा वाणिज्यिक लेन-देन देश। लेकिन ये प्रावधान लापरवाह लोगों को दंडित करने के लिए नहीं हैं।

मालिक या उपयोगकर्ता।

8. ऊपर निकाले गए प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि धारा 489-बी और 489-सी के तहत अपराधों का कारण है -

" मुद्रा नोटों को जानना या उन पर विश्वास करने का कारण होना या

बैंकनोट जाली या नकली होते हैं। इसके बिना

उपरोक्त पुरुषों से बेचना, खरीदना या प्राप्त करना

अन्य व्यक्ति या अन्यथा तस्करी या के रूप में उपयोग करना

असली जाली या नकली मुद्रा नोट या बैंकनोट,

धारा 489-बी के तहत अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारतीय दंड संहिता। इसलिए धारा 489-सी के तहत किसी भी जाली या नकली मुद्रा नोट या बैंकनोट को रखना या उपयोग करने का इरादा रखना भी पर्याप्त नहीं है।

मेन्स रिया की अनुपस्थिति, ऊपर उल्लिखित "।

21] 8 एस सी आर।

रघुनाथ सिंह बनाम। M.P.¹5 15 की स्थिति इस अदालत ने माना कि इसका उपयोग

"जानना" शब्द का अर्थ होगा कि अपराधी का पुरुष कारण स्थापित किया जाना चाहिए:

" धारा 368 "ज्ञान" की बात करती है जब यह कहा जाता है, "जो कोई भी जानता है कि किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया है या किया गया है। ऐसे व्यक्ति का अपहरण, गलत तरीके से छिपाना या सीमित करना।

भारतीय दंड संहिता अपने अलग-अलग भागों में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है। कभी-कभी अपराध का सार ज्ञान पर निर्भर करता है और "जानना" या "जानबूझकर" शब्दों का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि ज्ञान को या तो सकारात्मक साक्ष्य द्वारा या परिस्थितिजन्य रूप से साबित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि पुरुष अधिकार स्थापित किया जा सके। कभी-कभी (उदाहरण के लिए धारा 212,411, आदि देखें), "विश्वास करने का कारण है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। "जानना" या "जानबूझकर" शब्द स्पष्ट रूप से उससे अधिक शक्तिशाली हैं। "विश्वास करने का कारण है" शब्द क्योंकि वे उस व्यक्ति के मन में अधिक मात्रा में निश्चितता पर जोर देते हैं जिसे जानबूझकर कार्य करने या करने के लिए कहा जाता है। यह पर्याप्त नहीं है यदि साक्ष्य यह स्थापित करता है कि व्यक्ति के पास संदेह करने का कारण है

या यहाँ तक कि यह विश्वास करना कि एक विशेष स्थिति मौजूद थी। जब इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो संदेह से कुछ अधिक होता है। या विश्वास का कारण आवश्यक है। के तहत एक अपराध से पहले

धारा 368 को घर लाया जा सकता है यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त को पता था कि व्यक्ति का अपहरण किया गया था या अपहरण कर लिया "।

25. इसलिए, वर्तमान मामले में, राज्य को यह दिखाना पड़ा कि वन उपज को अवैध रूप से हटाया गया था, या अवैध रूप से उसके कब्जे में था।

अभियुक्त, और दोनों ही मामलों में, कि वही उसकी जानकारी में था। इस मूलभूत तथ्य को, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आगे भी साबित करना होगा। उचित संदेह। इसके बाद, अभियुक्त को एक विश्वसनीय या उचित स्पष्टीकरण स्थापित करना होता है।

26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य ने यह दिखाने के लिए सबूत दिए हैं कि जब्त किए गए सामान पर अपीलार्थी की फर्म के लेबल थे और आगे यह कि कोई परिवहन नहीं था।

लाइसेंस उपलब्ध था। हालाँकि, यह अपने आप में उनके ज्ञान में वन उपज के अवैध कब्जे को स्थापित नहीं करता है। अदालत को ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए, अभियोजन पक्ष को, इसके अलावा, उचित संदेह से परे, इस मूलभूत तथ्य को साबित करना था कि आरोपी ने जानबूझकर अवैध रूप से वन उपज को हटा दिया था। यह यहाँ है कि धारा के तहत अनुमान

15 1967 जेएलजे 234 (एससी)

69 लागू नहीं हो सकता; यह केवल एक धारणा का निर्देश देता है कि वन उपज सरकार की है।

27. अदालत की राय में, विवादित निर्णय, उलट कर

सत्र न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। सत्र न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि अपीलार्थी का यह स्पष्टीकरण कि एल-4 केंद्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस धारकों के रूप में उन्हें किसी अन्य कानून के पालन के संबंध में किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था, गलत और पूरी तरह से अपर्याप्त था।

अपीलार्थी वैध रूप से एक उत्पाद को अस्तित्व में ला सकता था, लेकिन यह उन्हें विनियमित या नियंत्रित वस्तुओं की खरीद के संबंध में अन्य दायित्वों का पालन करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता था, या उनसे संबंधित अन्य पहलुओं, जैसे कि भंडारण, परिवहन के लिए लाइसेंस या अनुमति आदि। अपीलार्थी ने दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे (प्रपत्र में)

45 चालानों और प्राप्तियों में से) माल की उत्पत्ति और उन्हें कहाँ से खरीदा गया था, यह कहने के लिए कि उन्हें 104 में खरीदा गया था

27 (1) ((घ) प्रारंभिक अनुमान स्थापित किया गया था। अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि हवाई अड्डे से जब्त किए गए डिब्बे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन आदि के गंतव्यों के लिए बाध्य थे। राज्य का मुख्य तर्क यह है कि नियमों के अनुसार कोई पूर्व अनुमति या मंजूरी नहीं थी। यह कहने के अलावा कि चालान और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जा सका, राज्य ने स्वतंत्र रूप से अपने साक्ष्य में यह स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया कि ऐसा कोई प्रयास किया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रसीदें या प्राथमिक साक्ष्य अदालत में प्रदर्शित नहीं किए गए थे और न ही कोई सबूत यह दिखाने के लिए प्रेरित किया गया था कि वास्तव में, तेल विक्रेताओं का पता लगाने का ऐसा प्रयास राज्य द्वारा किया गया था और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अविश्वसनीय था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता था कि राज्य ने किसी भी संदेह से परे साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन किया था, कि अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी थी कि माल मूल रूप से अवैध था। 28. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि यह धारणा कि राज्य से संबंधित वन उपज की जब्ती,

स्वचालित रूप से अभियुक्त की दोषी मानसिक स्थिति का अनुमान लग सकता है-दूसरे शब्दों में, कि माल की जब्ती का वास्तविक अर्थ है

कि अपीलार्थी को उनकी अवैध प्रकृति या उत्पत्ति के बारे में सचेत जानकारी थी, या कि पारगमन पास के लिए जिम्मेदार होने में अभियुक्त की असमर्थता का अर्थ है कि उन्होंने अवैध रूप से माल की खरीद की, इस प्रकार धारा 27 आकर्षित करती है। तर्क की इस तरह की छलांग उचित नहीं है, यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने दस्तावेजों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की थी जिसमें बताया गया था कि उन्होंने प्रश्न में तेल कैसे प्राप्त किया था। उन सामग्रियों के उत्पादन में राज्य की परिश्रम की अनुपस्थिति (जो [2021] 8 एस. सी. आर.

इसके कब्जे में थे) और यह साबित करना कि वे विश्वसनीयता के बिना थे, एक दोषसिद्धि में परिणाम नहीं हो सकता है। न ही अदालत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती थी कि जब्त किए गए माल की नीलामी और उनकी खरीद में अपीलार्थी की भागीदारी ने उन्हें फंसाया था। इस तरह के आचरण के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी इच्छा भी शामिल है।

29. इस अदालत की राय है कि इस मामले में सत्र अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के साथ उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। घुरेलाल (ऊपर) ने निस्संदेह सुसंगत कानून की समीक्षा की जिसमें घोषणा की गई थी कि एक अपीलीय अदालत को केवल इसलिए निचली अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि वह एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण पसंद करती है, जब तक कि ऐसा करने के लिए उसके पास ठोस कारण न हों। यह ठीक ऐसे मामलों में है, जहां अपीलीय हस्तक्षेप अनुचित है, कि राज्य दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय में अपील करने का हकदार है, हालांकि, तथ्य अन्यथा प्रकट करते हैं: एक, उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि धारा 69 का परिणाम एक ऐसी धारणा है जो किसी अपराध के संबंध में सबूत का उल्टा बोझ डालती है-उस प्रावधान के सादे पाठ से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है; और दो, धारा 27 (1) (डी) में माल की प्रकृति, यानी उनके अवैध मूल के बारे में सचेत ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे सबूत देने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि पहले बताया गया है, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि बचाव पक्ष के कब्जे में और राज्य को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को अदालत में पेश भी नहीं किया गया था, और न ही उस संबंध में राज्य की दलीलों को साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य साबित हुआ था।

30. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। तदनुसार इसे अलग रखा जाता है। अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है, लेकिन लागत पर कोई आदेश नहीं होता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे 16 प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैः " 378. बरी होने की स्थिति में अपील करें। (1) उप-धारा (2) में अन्यथा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर और उप-धारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को बरी करने के मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है।

उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में बरी करने का आदेश।